भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2500
उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

निजी और सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन

†2500. **डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी और सरकारी विद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्तर तक नामांकित विद्यार्थियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार को कई राज्यों में निजी विद्यालयों में नामांकन में लगातार वृद्धि और सरकारी विद्यालयों में नामांकन में इसी अनुरूप गिरावट की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकारी स्कूलों में उच्च माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों के नामांकन और रिटेंशन को मज़बूत करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है या विचार कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): यूडाइज़+ (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस) के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए निजी और सरकारी स्कूलों में पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार नामांकन https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के क्षेत्राधिकार में हैं। केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के तहत बालवाटिका से कक्षा 8 तक पका हुआ गर्म भोजन प्रदान करने और केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करने और नामांकन में वृद्धि करने हेतु राज्यों और संघ राज्य

क्षेत्रों को विभिन्न कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलना/सुदृढ़ीकरण करना, स्कूल अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना और उन्नयन तथा संचालन, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय नाम से आवासीय स्कूलों/छात्रावासों की स्थापना करना, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के तहत छात्रावास, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसम के अनुसार छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और निःशुक्ल यूनिफ़ार्म, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा आदि प्रदान करना शामिल है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है। अन्य सरकारी स्कूलों के लिए एक टेम्प्लेट विकसित करने हेतु प्रत्येक ब्लॉक में उदाहरणपरक एनईपी, 2020 के रूप में पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं।

******